संoसंo–1 / पoकॉo–03 / 2017– 57(1)स्वा.

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना मेडिकल कॉलेज,
पटना।

पटना, दिनांक– 29 / 11 / 2017

विषयः– पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड– 20–2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मद में कुल रू0 17,31,09,750/– (रुपये सत्रह करोड़ एकतीस लाख नौ हजार सात सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पत्रांक–5732, दिनांक–28.10.2017 के आलोक में पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मद में रू0 17,31,09,750/– (रुपये सत्रह करोड़ एकतीस लाख नौ हजार सात सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरुपेण प्रदान की जाती है–

विषय शीर्ष	कुल बजट उपबंध	पूर्व का कुल संयुक्त आवंटन	प0मे0कॉ0 को वर्तमान आवंटन	प0मे0कॉ0 को कुल आवंटन	अद्यतन कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
0001.01.01 वेतन	218587000	164885250	53701750	214587000	218587000	0
0001.01.03 जीवन यापन भत्ता	268422000	212570000	55852000	263922000	268422000	0
0001.01.04 मकान किराया भत्ता	67104000	4760000	62344000	66304000	67104000	0
0001.01.05 परिवहन भत्ता	4522000	3430000	1092000	4092000	4522000	0
0001.01.06 चिकित्सा भत्ता	1050000	1040000	10000	810000	1050000	0
0001.01.07 अन्य भत्ता	90000	80000	10000	60000	90000	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**559775000**	**386765250**	**173009750**	**549775000**	**559775000**	**0**
0001.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	200000	100000	100000	180000	200000	0
कुल योग :–	559975000	386865250	173109750	549955000	559975000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक 08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

क्रमशः

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0001–पटना मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड– 20–2210051050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 28/11/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प0कॉ0–03/2017– 57(1)ब० /स्वा0, पटना, दिनांक– 29/11/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/11/17

सरकार के विशेष सचिव